

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र धिल्लियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्लियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्रम सं०	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु०में)	धनराशि (रु०में)
			ल०	चौ०	ऊँ०				
1.	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	4	0.45	0.30	0.45	0.243	घ०मी०	287.10 174.55	40.80 42.41
2.	आर०सी०सी० पिलर के बस पर चुना व कायला डालना	4	0.45	0.30	0.15	0.081	घ०मी०	4295.50	347.93
3.	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	4	0.45	1.35	1.35	0.729	घ०मी०	529.30 6055.6	3748.84 4414.53
4.	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना	0.725 x 0.725	—	—	—	0.57	कुन्नाल	4400.00 4800	2600.00 2736
5.	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	4 x 2 4 x 2	0.40 0.30	—	1.00 1.00	5.60	वर्ग मीटर वर्ग मीटर	142.20 168.2	224.88 941.92
6.	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	4	4	0.40	1.00	8.40	वर्ग मीटर	68.90	440.96
7.	पानी की बुलाई आदि	—	—	—	—	—	लगभग		1200.00 1092.75
	कुल योग								8000.00 10923.75

योग - (45 फीट लंबे) 10923.75 या 1092000

वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत वन क्षेत्र
वन क्षेत्राधिकारी (प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

वन सहायक/उप प्र० वनाधी
रामनगर
रामनगर वन प्रभाग रामनगर
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर निर्गत किया जायेगा।
प्रकरण विशेष की परिस्थिति के अनुसार उक्त प्राक्कलन के प्रारूप में यथाआवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं।